राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर / 13804–969 दिनांक 19/3/2019

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– माह मार्च 2019 देय माह अप्रैल 2019 के वेतन बिलों के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ऑनलाइन बजट दिनांक 01.04.2019 से ही विभागों को उपलब्ध होगा जिसके कारण माह मार्च 2019 देय माह अप्रैल 2019 के वेतन बिल आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.04.2019 से ही बनाये जा सकेगे तथा कोषालयों / उपकोषालयों द्वारा भी दिनांक 01.04.2019 से ही उन्हें पारित कर ऑनलाइन भुगतान हेतु फाइल तैयार की जायेगी।

अतः इस संबंध में अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को माह मार्च 2019 देय माह अप्रैल 2019 के वेतन बिल दिनांक 01.04.2019 से ऑनलाइन बनाकर संबंधित कोषालय / उपकोषालय को फॉरवर्ड कर हॉर्डप्रति भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर / 13970–14012 दिनांक 19/3/2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. कोषाधिकारी समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च 2019 देय माह अप्रैल 2019 के वेतन बिलों को प्राथमिकता के आधार पर पारित कर ऑनलाइन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
3. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग सचिवालय को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव